



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2019/वैशाख 24, 1941

No. 161]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2019/VAISAKHA 24, 1941

## भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

### संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2019

**सं.भा.आ.प. - 34(41)/2019-मेड./112859.**—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड ने “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” में संशोधन करने का निर्णय लिया है। ये संशोधन, मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और चिकित्सा शिक्षा के मानकों के साथ समझौता किए बिना डॉक्टर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आने हेतु प्राइवेट सेक्टर (निजी क्षेत्र) से अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता आमंत्रित करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।

तदनुसार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” को पुनः संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:

1. (i) ये विनियम, “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन), 2019” कहे जाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” में “परिभाषा” शीर्षक के अंतर्गत, खंड 2 में, “समुचित सरकार” की परिभाषा के पश्चात निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जाएगी:

“कंसोर्शियम (सहायता-संघ)” से कम से कम दो और अधिक से अधिक चार ऐसे पात्र संगठनों, नामतः सोसाइटी/न्यास/कंपनी/विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय का एक समूह अभिप्रेत हैं, जिन्होंने कंसोर्शियम नेता के जरिए कोई मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार/शासी बोर्ड की अनुमति प्राप्त करने हेतु एक पंजीकृत समझौता ज्ञापन/करार किया है। पात्र संगठनों में से एक कंसोर्शियम नेता होगा, जबकि अन्य संगठन कंसोर्शियम सदस्य होगा(होंगे)।

“कंसोर्शियम नेता” से, पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर के साथ कोई नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और चलाने के उद्देश्यों के लिए केन्द्र सरकार/शासी बोर्ड को आवेदन करने के लिए पात्र और उक्त उद्देश्य के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए 100 करोड़ रुपये का न्यूनतम बजट विशेष रूप से आवंटित करने वाला संगठन अभिप्रेत है।

“कंसोर्शियम सदस्य” से ऐसा/ऐसे संगठन अभिप्रेत हैं/हैं, जिन्होंने कोई नया मेडिकल स्थापित करने और चलाने के उद्देश्यों के लिए कंसोर्शियम नेता के साथ पंजीकृत समझौता ज्ञापन/करार किया है और इन संगठनों में से प्रत्येक का अलग-अलग, पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 करोड़ रुपये का टर्नओवर है और उन्होंने उक्त उद्देश्य के लिए अनन्य रूप से उपयोग करने के लिए न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का कारपोरेट बजट विशेष रूप से आवंटित किया है।

“पंजीकृत समझौता ज्ञापन/करार” से, समझौता ज्ञापन/करार की शर्तें और निबंधन तथा कंसोर्शियम के प्रत्येक सदस्य की अपनी-अपनी जिम्मेदारी विनिर्दिष्ट करने वाला कंसोर्शियम के नेता और कंसोर्शियम के सदस्यों के बीच निष्पादित किया गया और सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत समझौता ज्ञापन/करार अभिप्रेत है।

3. “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” में, “पात्रता मापदंड” शीर्षक के अंतर्गत खंड-3(1) में, प्रविष्ट 7 के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

“(7) कंसोर्शियम”

4. “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” में खंड 2(5) में, खंड 2(5)(क) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

“2.(5.क) किसी कंसोर्शियम को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी:

- i. कंसोर्शियम के सदस्यों की संख्या दो पात्र संगठनों से कम और चार पात्र संगठनों से अधिक नहीं होगी।
- ii. कंसोर्शियम के सदस्य के सदस्य एक पंजीकृत समझौता ज्ञापन/करार करेंगे, जिसमें समझौता ज्ञापन/करार की शर्तें और निबंधन तथा उनकी अपनी-अपनी जिम्मेदारियां विनिर्दिष्ट की गई हों।
- iii. कंसोर्शियम नेता, केन्द्र सरकार/शासी बोर्ड/राज्य सरकार/संबद्ध विश्वविद्यालय/परिषद् को आवेदन करने का हकदार होगा और ऐसा विधिक व्यक्ति होगा जिसके साथ केन्द्र सरकार/शासी बोर्ड/राज्य सरकार/संबद्ध विश्वविद्यालय विचार-विमर्श करेगा।
- iv. कंसोर्शियम नेता द्वारा अंशदान की गई इक्विटी, 50% से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि कंसोर्शियम के अन्य सदस्यों की इक्विटी, अलग-अलग 10% से कम नहीं होनी चाहिए।
- v. भूमि, कंसोर्शियम के सदस्यों में से किसी एक के स्वामित्व और कब्जे में होनी चाहिए और यदि पट्टे पर है तो यह पट्टे के नवीकरण के उपबंध के साथ कम से कम तैंतीस वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए। कंसोर्शियम के सदस्य, भूमि पर स्पष्ट स्वामित्व वाले होने चाहिए और यह सभी ऋणधारों से मुक्त होनी चाहिए तथा भूमि या उसके भाग के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कानूनी मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए।
- vi. अस्पताल, कंसोर्शियम के सदस्यों में से किसी एक के स्वामित्व और कब्जे में हो सकता है, तथापि, यदि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाती है तो निम्नलिखित शर्तें, पंजीकृत समझौता ज्ञापन/करार का अभिन्न अंग होनी चाहिए:

(1) कि पंजीकृत समझौता ज्ञापन/करार में विशेष रूप से ऐसी दस वर्ष की परिवंधन अवधि का उपबंध किया जाना चाहिए, जिससे पहले कंसोर्शियम नेता और कंसोर्शियम सदस्य कंसोर्शियम से निर्गमन नहीं कर सकते। यदि दस वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले कंसोर्शियम का कोई सदस्य निर्गमन करता है, तो ऐसा/ऐसे सदस्य, पंजीकृत समझौता ज्ञापन /करार के अंतर्गत, कंसोर्शियम निधि में, उसके द्वारा धारित इक्विटी के चार गुणा के समतुल्य रकम का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा/होंगे। कंसोर्शियम के किसी सदस्य के पास यह विकल्प होगा कि वह दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात कंसोर्शियम से निर्गमन कर सके, तथापि, कंसोर्शियम के निर्गमन करना वाले सदस्य का प्रतिस्थापन, निर्गमन करने वाले सदस्य द्वारा धारित इक्विटी के समतुल्य इक्विटी लाने वाले और विनियमावली के अंतर्गत उपबंधित अन्य शर्तें पूरी करने वाले किसी अन्य संगठन द्वारा किया जाएगा।

(2) कि पंजीकृत समझौता ज्ञापन/करार में विशेष रूप से यह उपबंध होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में छात्रों के अध्ययन करते रहने के समय तक, कंसोर्शियम किसी भी परिस्थिति में विघटित नहीं किया जा सकता। यदि मेडिकल कॉलेज में

- छात्रों के अध्ययन करते रहने के समय कंसोर्शियम विघटित कर दिया जाता है या मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया जाता है तो कंसोर्शियम का प्रत्येक सदस्य या तो संयुक्त रूप से या अलग-अलग, उस राज्य सरकार, जिसके क्षेत्राधिकार में मेडिकल कॉलेज स्थित है, को शास्ती के रूप में 100 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (3) कि किसी नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के उद्देश्य के लिए सृजित पंजीकृत समझौता ज्ञापन/करार के अंतर्गत कंसोर्शियम निधि का मूल्य, 250 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।
- (4) कि पंजीकृत समझौता ज्ञापन/करार में विशेष रूप से यह उपबंध होना चाहिए कि कंसोर्शियम के प्रत्येक सदस्य को, कंसोर्शियम में उसकी इक्विटी के अनुसार परिषद के पक्ष में अलग बैंक गारंटी (गारंटियां) निष्पादित करनी होगी और बैंक गारंटी की कुल धनराशि, कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये होगी। परिषद, दस वर्ष की समाप्ति से पहले, किसी सदस्य के कंसोर्शियम से निर्गमन की स्थिति में, इसे भुनाने की हकदार होगी।
- (5) कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भूमि के एक एकल भूखंड पर होना चाहिए। यदि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भूमि के दो टुकड़ों पर है तो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए भूमि के संबंध में विनियम के अंतर्गत विनिर्धारित शर्त, कंसोर्शियम द्वारा पूरी की जानी चाहिए।
- (6) कि कंसोर्शियम के सदस्य के स्वामित्व वाला और के द्वारा प्रबंधित अस्पताल भूमि, जिसका क्षेत्र नियमावली के अंतर्गत विनिर्धारित क्षेत्र से कम न हो, के भूखंड पर स्थित एक अध्यापन संस्थान में विकसित किए जाने में सक्षम आवश्यक अवसरचनात्मक सुविधाओं के साथ न्यूनतम 300 बिस्तरों वाला अस्पताल होना चाहिए। यह मेडिकल कॉलेज, छात्रों और स्टाफ के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उक्त अस्पताल, भूमि के एक टुकड़े पर होगा और पुस्तकालय सहित कालेज का भवन और छात्रों/इंटर्न, स्नातकोत्तरों/रेजिडेंटों, नर्सों के लिए होस्टल, भूमि के दो टुकड़ों में से किसी एक पर रखा जा सकता है।
- (7) कंसोर्शियम यह सुनिश्चित करेगा कि 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का उपयोग अनन्य रूप से छात्रों के अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए किया जाए और अस्पताल का उन्नयन, विनियमावली की शर्तों के अनुसार किया जाए।
- (8) नया मेडिकल कॉलेज आरंभ करने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने से पहले, अस्पताल को, समुचित आशोधनों के जरिए एक अध्यापन अस्पताल में उपयुक्त ढंग से परिवर्तित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से 300 बिस्तरों के, शल्य चिकित्सीय विशेषज्ञताओं के लिए 120 बिस्तरों, मेडिकल विशेषज्ञताओं के लिए 120 बिस्तरों और प्रसूति एवं स्त्री रोग-विज्ञान के लिए 60 बिस्तरों के अलग-अलग विवरण के संदर्भ में अपेक्षित वार्ड आकार, अध्यापन और प्रशिक्षण स्थान तथा विनियमित करने वाले विनियमों के अनुसार अन्य विनिर्धारित शर्तों के साथ 30-30 बिस्तरों की नैदानिक इकाइयां बनाने में भी सक्षम होना चाहिए।
- (9) अस्पताल में, 50/100/150/200/250, जैसा भी मामला हो, की कॉलेज की अनुमति प्राप्त वार्षिक प्रवेश क्षमता के संबंध में, विनियमित करने वाली विनियमावली द्वारा यथा विनिर्धारित, बिस्तरों की संख्या में वृद्धि और उतनी ही अध्यापन इकाइयों तथा अध्यापन अनुपूरण सहित इस के आवधिक रूप से उन्नत किए जाने की सभी व्यवहार्यता होनी चाहिए।
- (10) नर्सों और निम्न वर्गीय स्टाफ सहित उक्त अस्पताल में कार्यरत कार्मिकों, तकनीशियनों, पारा नैदानिक स्टाफ को यदि मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित किया जाता है तो स्थानांतरित किए जाने पर, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी प्रकार का कोई 'दोहरा' प्रशासनिक नियंत्रण न हो, वे मेडिकल कॉलेज के डीन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होंगे।
- (11) इस प्रकार के विचारित प्रशासनिक नियंत्रण में 'शैक्षिक', 'नैदानिक' और 'वित्तीय' पहलु भी शामिल होंगे।
- (12) जो संबंधित विषय के सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, जैसा भी मामला हों, के रूप में पदनामित किए जाने के लिए विनिर्धारित पात्रता के अनुरूप, अध्यापकों की पात्रता शैक्षिक योग्यता विनियमावली द्वारा विनिर्धारित किए जा सकते हैं, के अलावा उक्त अस्पताल में कार्यरत नैदानिक स्टाफ, अपेक्षित संख्या में, विधिवत् योग्यताप्राप्त पूर्णकालिक चिकित्सा अध्यापकों की पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह प्रतिस्थापन, विनियमित करने वाली विनियमावली के अंतर्गत विनिर्धारित शर्तों के अनुसार नैमित्तिक चिकित्सा अधिकारी, अस्पताल प्रशासकों आदि जैसे गैर-अध्यापन पदों पर लागू नहीं होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाध्यकारी प्रचालनात्मक उक्ति कि "अध्यापन चिकित्सक को उपचारकर्ता चिकित्सक भी होना होगा" लागू हो, जिसका अर्थ है कि 'उपचारकर्ता' कार्मिक ही 'अध्यापन कार्मिक' होगा।

- (vii) संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनिवार्यता प्रमाणपत्र में, ऊपर उपखंड (vi) (1) से (3) में उल्लिखित शर्तें पूरी करना विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (viii) मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया कंसोर्शियम, मेडिकल कॉलेज के वाणिज्यिकीकरण में लिप्त नहीं होगा।
5. “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” में, खंड 2(7) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-  
 “पंजीकृत समझौता ज्ञापन/करार के अंतर्गत परिषद को कंसोर्शियम के अलग-अलग सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटियों के अलावा, कंसोर्शियम को, अनुमति प्राप्त प्रवेश क्षमता के लिए, मेडिकल कॉलेज स्थापित करने वाली गैर-सरकारी संस्था के लिए विनिर्धारित धनराशि से दुगनी रकम की एक कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।”
6. “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” में, फार्म-1, कोई नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति हेतु आवेदन के प्रपत्र में, प्रविष्टि संख्या 1,4,7 और 9 में “कंपनी” और “कंसोर्शियम” शब्द जोड़े जाएंगे।

डॉ. आर. के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./46/19]

**फुट नोट:** प्रधान विनियमावली नामतः “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेड के अंतर्गत 28 अगस्त 1999 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 30/07/1999, 07/10/1999, 29/07/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 26/02/2010, 16/04/2010, 26/09/2011, 01/06/2012, 30/08/2012, 21/09/2012, 28/10/2013, 18/03/2014, 16/10/2015, 29/12/2015, 02/02/2016, 05/02/2016, 18/03/2016, 17/01/2017, 01/06/2017, 03/07/2018 और 05/02/2019 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

**BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION  
OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA  
AMENDMENT NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2019

**No. MCI-34(41)/2019-Med./112859.**—The Board of Governors in supersession of the Medical Council of India have decided to make amendments in the Establishment of Medical College Regulations, 1999. These amendments are being made with the object of inviting greater participation from the private sector to come forward for establishing medical colleges and imparting high quality medical education and training facilities to the students aspiring to become doctors without compromising the standards of medical education.

Accordingly, the Board of Governors in super-session of Medical Council of India in exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Establishment of Medical College Regulations, 1999”, namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Establishment of Medical College Regulations(Amendment), 2019”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999’ under the Heading Definition in Clause 2 following definition shall be added after the definition of “Appropriate Government”:

“Consortium” means a group of not less than two eligible organizations, namely, Society / Trust / Company / University / Deemed University, but not more than four such organizations, who have entered into a Registered Memorandum of Understanding / Agreement for seeking permission of the Central Government / Board of Governors for setting up a medical college through the Consortium Leader. One of the eligible organization shall be the Consortium Leader while other organizations shall be Consortium Member(s).

“Consortium Leader” means the organization entitled to make application to the Central Government / Board of Governors for the purposes of establishment and running a new medical college with an annual turnover of not less than Rs.500 crores in the preceding Financial Year and have specifically allocated a minimum corporate budget of Rs.100 crores to be exclusively utilised for the said purpose.

“Consortium Member(s)” means the organization(s) who have entered into Registered Memorandum of Understanding / Agreement with the Consortium Leader for the purposes of establishment and running of a new medical college and each of such organisation(s) is individually having an annual turnover of not less than Rs.100 crores in the preceding Financial Year and have specifically allocated a minimum corporate budget of Rs.50 crores to be exclusively utilised for the said purpose.

“Registered Memorandum of Understanding / Agreement” means the Memorandum of Understanding / Agreement executed between the Consortium Leader and Consortium Member(s) specifying the terms and conditions of Memorandum of Understanding / Agreement and the respective responsibility of each of the members of the Consortium and registered with the competent authority.

3. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999’ in Clause 3 (1) – under the Heading Eligibility Criteria following shall be added as Entry 7:

“(7) Consortium

4. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999’ in Clause 2 (5), the following shall be added as Clause 2 (5) (A):

“2.(5.A) A Consortium shall be permitted to make an application for establishment of new medical college subject to the following conditions:

- (i) The number of Members of the Consortium shall not be less than two eligible organizations and not more than four eligible organizations.
- (ii) The Members of the Consortium shall enter into a Registered Memorandum of Understanding / Agreement specifying the terms and conditions of Memorandum of Understanding / Agreement and their respective responsibilities.
- (iii) The Consortium Leader shall be entitled to make the application to the Central Government/Board of Governors/State Government/Affiliating University / Council and shall be the legal person with which the Central Government/Board of Governors/ State Government / Affiliating University / Council shall interact.
- (iv) The minimum equity contributed by the Consortium Leader should not be less than 50% while that of the other members of the Consortium should not be less than 10% individually.

- (v) The land should be owned and possessed by one of the Members of the Consortium and if on lease should be for a period not less than thirty-three years, with provision for lease renewal. The Member(s) of the Consortium should be having a clear title over the land and it should be free from all encumbrances as also there should not be any legal proceeding pending in any Court of law in respect of the land or part thereof
- (vi) The Hospital can be owned and possessed by one of the Member of the Consortium, however, in case permission for establishment of Medical College is granted following conditions, should form integral part and parcel of the Registered Memorandum of Understanding / Agreement:-
- (1) That the Registered Memorandum of Understanding / Agreement should specifically provide for a lock in period of ten years before which the Consortium Leader and Consortium Members cannot exit the Consortium. In the event, any member of the Consortium exits before the expiry of ten years then such member(s) shall be liable to make payment of a sum equivalent to four times of the equity held by it under the Registered Memorandum of Understanding / Agreement in the Consortium Fund. It shall be open for any member of the Consortium to exit Consortium after expiry of ten years, however, the exiting member of the Consortium will have to be replaced by some other organization (s) bringing in the equivalent equity held by the exiting member and fulfilling the other conditions provided under the Regulations;
  - (2) That the Registered Memorandum of Understanding / Agreement should specifically provide that the Consortium cannot be dissolved under any circumstance till the time the students are studying in the medical college. In the event, the Consortium is dissolved while the students are still studying in the medical college or the medical college is closed down then each member of the Consortium, either jointly or severally, shall be liable to pay a sum of Rs. 100 crores as penalty to the State Government in whose jurisdiction the medical college is situated.
  - (3) That the value of the Consortium Fund under the Registered Memorandum of Understanding / Agreement created for the purpose of establishment of a new medical college shall not be less than 250 crores;
  - (4) That the Registered Memorandum of Understanding / Agreement should specifically provide that each member of the Consortium has to execute in favour of the Council separate Bank Guarantee(s) in accordance with their equity in the Consortium and the total amount of Bank Guarantee taken together shall be for a sum of Rs. 5 crores. The Council shall be entitled to encash in the event any of the members of the Consortium exits from the Consortium before the expiry of ten years.
  - (5) That the Medical College and Hospital should be on one single plot of land. In case, the Medical College and Hospital are on two pieces of land, then the requirement prescribed under the Regulation regarding land for the Medical College and Hospital should be met by the Consortium.
  - (6) That the hospital owned and managed by the Member of the Consortium should be minimum 300 bedded hospital with necessary infrastructural facilities capable of being developed into a teaching institution situated on a plot of land having an area not less than prescribed under the Regulations. The medical college shall provide free transportation facilities for students and

staff. The said hospital would be on one piece of the land and the building of the college including library and hostel for the students/interns, PGs/Residents, nurses may be housed on any of the two pieces of land.

- (7) The Consortium shall ensure that the 300 bedded Hospital is utilized solely for the teaching and training of students and that such Hospital is upgraded in accordance with the requirement of Regulations.
- (8) The hospital must be suitably altered through appropriate modifications into a teaching hospital specially with reference to the break up of the 300 beds into 120 beds for Surgical Specialties, 120 for Medical Specialties and 60 for Obstetrics & Gynecology and also capable of forming clinical units of 30 beds each with required ward size, teaching and training space and other prescribed requirements as per the governing regulations before the application is made by the applicant for starting the new medical college.
- (9) The hospital should have all the feasibility for it being periodically upgraded including the augmentation of the number of beds and commensurate teaching units and teaching compliment as prescribed by the Governing Regulations with respect to the permitted annual intake for the college of 50/100/150/200/250 as the case may be.
- (10) The personnel working in the said hospital, technicians, para clinical staff including nurses and the menial staff, if transferred to medical college, upon their transfer shall be under the administrative control of the Dean of the Medical College ensuring that there is no "duality" of administrative control of any type.
- (11) The administrative control so envisaged would include "Academic", "Clinical" and "Financial" aspects as well.
- (12) The clinical staff working at the said hospital other than those who conform to the prescribed eligibility for being designated as Assistant Professor, Associate Professor, Professor of the concerned subject, as the case may be prescribed by the Teachers' Eligibility Qualification Regulations will have to be replaced by the full time appointment of the requisite number of duly qualified full time medical teachers, such replacement will not apply to non-teaching position like Casualty Medical Officer, Hospital Administrators, etc. in accordance with the prescribed requirements under the governing Regulations. In order to ensure that the binding operational dictum that "teaching physician has to be the treating physician" meaning thereby that the "treating" personnel would be the one who would be the "teaching" personnel."
- (vii) The Essentiality Certificate to be granted by the concerned State Government shall specify the fulfilment of the conditions mention in sub-clause (vi)(1) to (3) above.
- (viii) The Consortium granted LOP for establishment of Medical College shall not indulge in commercialization of the medical college.

5. In the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" in Clause 2 (7), the following shall be added:

In addition to the Bank Guarantees to be submitted by the individual members of the Consortium to the Council under the Registered Memorandum of Understanding / Agreement, the Consortium has to submit a Performance Bank Guarantee of double the amount prescribed for a non-governmental entity establishing a Medical College for the permitted intake capacity.

6. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999” in Form-1, Format of Application for Permission of the Central Government to Establish a New Medical College the term ‘Company’ & “Consortium” shall be added in entries no. 1, 4, 7 & 9.;

DR. R. K. VATS, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./46/19]

**Foot Note:** The Principal Regulations namely, “Establishment of Medical College Regulations, 1999, were published in Part-III, Section (4) extraordinary of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Medical Council of India notification No. 34(41)/98-Med. and amended vide notification dated 30/07/1999, 07/10/1999, 29/07/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 26/02/2010, 16/04/2010, 26/09/2011, 01/06/2012, 30/08/2012, 21/09/2012, 28/10/2013, 18/03/2014, 16/10/2015, 29/12/2015, 02/02/2016, 05/02/2016, 18/03/2016, 17/01/2017, 01/06/2017, 03/07/2018 & 05/02/2019